विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर :-

प्रश्न	उत्तर
4 (क) क्या उद्यान मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के 8 आकांक्षी जनपदों में माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास की भावना को पूरा करने हेतु उद्यान विभाग का क्या योगदान है?	(क) प्रदेश के 08 आकांक्षी जनपदों में उद्यान विभाग द्वारा केन्द्रपोषित एवं राज्यपोषित विभिन्न योजनाओं का संचालन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।
(ख) उक्त आकांक्षी 8 जनपदों में उद्यान विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य किया गया?	(ख) **एकीकृत बागवानी विकास मिशन** योजनान्तर्गत सोनभद्र, सिद्धार्थनगर एवं चित्रकूट जनपद आच्छादित है योजनान्तर्गत फल क्षेत्र विस्तार यथा-केला, पपीता, आम, अमरूद, मसाला क्षेत्र विस्तार (प्याज) संकर शाकभाजी एवं पुष्प क्षेत्र विस्तार (गेंदा) कार्यक्रम के साथ-साथ परियोजना आधारित कार्यक्रम यथा- लघु पौधशालाओं की स्थापना एवं हाईटेक नर्सरी की स्थापना, संरक्षित खेती के अन्तर्गत ग्रीन हाउस एवं सीडनेट की स्थापना, बागवानी में मशीनीकरण, मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना तथा पोस्ट हार्वेस्ट के अन्तर्गत पैक हाउस का निर्माण, प्री कूलिंग यूनिट, मोबाइल प्री कूलिंग यूनिट/रिफर वैन, कोल्ड स्टोरेज एवं राइपनिंग चेम्बर की स्थापना, प्रसंस्करण इकाई एवं प्याज भण्डार गृह की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मिलित हैं। **राष्ट्रीय कृषि विकास** योजनान्तर्गत फतेहपुर, चन्दौली, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं बहराइच जनपद आच्छादित हैं। योजनान्तर्गत फल, पुष्प, शाकभाजी, मसाला क्षेत्र विस्तार, मौनपालन, पोस्ट हार्वेस्ट के कार्य कराये गये हैं। साथ ही कृषकों में जागरूकता हेतु कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। **पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत** जनपद में माइक्रोइरीगेशन के

अंगीकरण हेतु ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का कार्य किया गया।

अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास योजना जनपद के अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों के प्रक्षेत्रों पर कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती, टमाटर की खेती, मिर्च एवं शिमला मिर्च की खेती, आई0पी0एम0 कार्यक्रम व पुष्प क्षेत्र विस्तार में गेंदा की खेती कराकर लाभार्थी कृषकों की आय में वृद्धि की जाती है। योजनान्तर्गत उपरोक्त कार्यक्रमों में 75 से 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित उद्यम जैसे फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, अनाज प्रसंस्करण, कुकरी/बेकरी प्रसंस्करण, मशरूम उत्पादन, मटन/पोल्ट्री उत्पादन एवं प्रसंस्करण, ओ0डी0ओ0पी0 इकाई की स्थापना आदि नये उद्यम लगाने का कार्य किया गया।

हर्बल गार्डन योजनान्तर्गत जनपद सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर एवं बहराइच के कृषकों को सर्पगन्धा एवं सतावर की खेती को बढ़ावा देने हेतु कार्य किया गया।

राज्य आयुष मिशन योजनान्तर्गत जनपद चन्दौली, सोनभद्र एवं बहराइच के कृषकों को सर्पगन्धा, अश्वगन्धा, सतावरी, तुलसी एवं एलोवीरा की खेती को बढ़ावा देने हेतु कार्य किया गया।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) क्या उद्यान विभाग द्वारा किये गये कार्यों का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?

(घ) विवरण संलग्न है।

दिनेश प्रताप सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
उद्यान विभाग।

विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा. सदस्य विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं. 4 का विवरण:-

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि 08 आकांक्षी जनपद फतेहपुरए, चन्दौली, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एवं चित्रकूट में उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये है-

1. **एकीकृत बागवानी विकास मिशन-**

<u>आच्छादित जनपद- सोनभद्र, सिद्धार्थनगर एवं चित्रकूट।</u>

(I) फल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत-

- आम नवीन उद्यान रोपण- प्रति हे0 इकाई लागत रू0 25500/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान रोपण समाग्री एवं उर्वरक रू0 12750 को तीन वर्षों तक 60:20:20 (प्रथम वर्ष रू0 7650/- द्वितीय वर्ष रू0 2250/- एवं तृतीय वर्ष रू0 2250/-) के अनुपात पर अनुदान अनुमन्य है।
- अमरूद नवीन उद्यान रोपण- प्रति हे0 इकाई लागत रू0 38340/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान रोपण समाग्री एवं उर्वरक रू0 19170 को तीन वर्षों तक 60:20:20 (प्रथम वर्ष रू0 11502/- द्वितीय वर्ष रू0 3834/- एवं तृतीय वर्ष रू0 3834/-) के अनुपात पर अनुदान अनुमन्य है।
- केला नवीन उद्यान रोपण- प्रति हे0 इकाई लागत रू0 102462/- के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान प्रथम वर्ष रू0 30738/- द्वितीय वर्ष रू0 10247/- अनुदान अनुमन्य है।

(II) **संकर शाकभाजी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत-** संकर शिमला मिर्च, टमाटर, पातगोभी, फूलगोभी एवं कद्दूवर्गीय सब्जी आदि फसलों की खेती पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 50000/- का 40 प्रतिशत रू0 20000/- अनुदान अनुमन्य है।

(III) **मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत-** प्याज, हल्दी, लहसून, मसाला मिर्च, धनिया आदि फसलों की खेती पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 30000/- का 40 प्रतिशत रू0 12000/- अनुदान अनुमन्य है।

(IV) **पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत-** ग्लैडियोलस पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 150000/- का लघु सीमान्त कृषकों को 40 प्रतिशत व समान्य कृषक को 25 प्रतिशत, रजनीगंधा पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 100000/- का लघु सीमान्त कृषकों को 40 प्रतिशत व समान्य कृषक को 25 प्रतिशत, एवं गेंदा पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 40000/- का लघु सीमान्त कृषकों को 40 प्रतिशत व समान्य कृषक को 25 प्रतिशत, का अनुदान अनुमन्य है।

(V) **परियोजना आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत-** फसल कटाई उपरान्त प्रबन्धन के अन्तर्गत प्याज भण्डार गृह इकाई लागत रू0 1.75 लाख का 50 प्रतिशत रू0 0.875 लाख एवं फल/शाकभाजी/पुष्प फसलों हेतु फंक्शनल पैक हाउस के निर्माण पर इकाई लागत 4.0 लाख का 50 प्रतिशत रू0 2.0 लाख का अनुदान अनुमन्य है।

(VI) **मौनपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत-** मौनपालन इटेलियन बी (ऐपीस मैलीफेरा) व्यवस्था प्रारम्भ हेतु प्रति इकाई (50 मौनवंश/मौनगृह) मय मौन उपकरण सहित लागत रू0 2.20 लाख का 40 प्रतिशत रू0 88000/- अनुदान अनुमन्य है।

(VII) बेमौसमी सब्जियों एवं हाईवैल्यू पुष्पों की खेती- संरक्षित ढांचे में करने के लिए जनपद में ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस की स्थापना पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। एक लाभार्थी को 500 वर्ग मी0 से 4000 वर्ग मी0 तक की सुविधा उपलब्ध है।

(VIII) बागवानी में मशीनीकरण के अन्तर्गत- शक्ति चालित मशीनो एवं उपकरणों यथा- 20 बी0एच0पी0 तक ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्प्रेयर आदि पर अनुमन्य लागत के सापेक्ष 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक अनुदान देय है।

(IX) मशरूम यूनिट के अन्तर्गत- मशरूम उत्पादन, कम्पोस्ट एवं स्पान मेकिंग यूनिट की स्थापना करायी जाती है। मशरूम कम्पोस्ट यूनिट की लागत रू0 20.0 लाख प्रति इकाई तथा स्पान यूनिट की इकाई लागत रू0 15.0 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत क्रमशः रू0 8.0 लाख एवं 6.0 लाख अनुदान प्रति इकाई अनुमन्य है।

योजनान्तर्गत जनपद के कृषकों के प्रक्षेत्रों पर वर्ष 2022-23 में कराये गये कार्यक्रमों जैसे फल क्षेत्र विस्तार, शंकर शाकभाजी उत्पादन, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुराने बागों का जीर्णोद्धार कार्यक्रम, मशीनीकरण कार्यक्रम, ऑन फार्म हैण्डलिंग (पैक हाउस) कार्यक्रम एवं लो कास्ट प्रिर्जवेशन इकाई की स्थापना के कार्यक्रमों का कार्यक्रमवार निर्धारित भौतिक एवं वितीय लक्ष्य का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	जनपद का नाम	फल, पुष्प, शाकभाजी, मसाला क्षेत्र विस्तार (हे0)		मधुमक्खी पालन (सं0)		बागवानी में मशीनीकरण (सं0)		पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट (सं0)		कृषक प्रशिक्षण (सं0)		सेमिनार/गोष्ठी (सं0)		कुल वित्तीय (लाख रू. में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	सोनभद्र	236	236	-	-	5	5	6	1	-	-	1	0	74.69	74.69
2	सिद्धार्थ नगर	269	266	-	-	6	6	-	-	-	-	1	0	72.97	72.73
3	चित्रकूट	222	219	-	-	1	1	4	0	-	-	2	0	46.92	38.26
	योग	727	721	0	0	12	12	10	1	0	0	4	0	194.58	158.68

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना -

<u>आच्छादित जनपद- फतेहपुर, चन्दौली, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं बहराइच।</u>

(I) फल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत-

- आम नवीन उद्यान रोपण- प्रति हे0 इकाई लागत रू0 25500/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान रोपण समाग्री एवं उर्वरक रू0 12750 को तीन वर्षो तक 60:20:20 (प्रथम वर्ष रू0 7650/- द्वितीय वर्ष रू0 2250/- एवं तृतीय वर्ष रू0 2250/-) के अनुपात पर अनुदान अनुमन्य है।
- अमरूद नवीन उद्यान रोपण- प्रति हे0 इकाई लागत रू0 38340/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान रोपण समाग्री एवं उर्वरक रू0 19170 को तीन वर्षो तक 60:20:20 (प्रथम वर्ष रू0 11502/- द्वितीय वर्ष रू0 3834/- एवं तृतीय वर्ष रू0 3834/-) के अनुपात पर अनुदान अनुमन्य है।
- केला नवीन उद्यान रोपण- प्रति हे0 इकाई लागत रू0 102462/- के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान प्रथम वर्ष रू0 30738/- द्वितीय वर्ष रू0 10247/- अनुदान अनुमन्य है।

(II) संकर शाकभाजी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत- संकर शिमला मिर्च, टमाटर, पातगोभी, फूलगोभी एवं कद्दूवर्गीय सब्जी आदि फसलों की खेती पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 50000/- का 40 प्रतिशत रू0 20000/- अनुदान अनुमन्य है।

(III) मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत- प्याज, हल्दी, लहसून, मसाला मिर्च, धनिया आदि फसलों की खेती पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 30000/- का 40 प्रतिशत रू0 12000/- अनुदान अनुमन्य है।

(V) पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत- ग्लैडियोलस पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 150000/- का लघु सीमान्त कृषकों को 40 प्रतिशत व समान्य कृषक को 25 प्रतिशत, रजनीगंधा पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 100000/- का लघु सीमान्त कृषकों को 40 प्रतिशत व समान्य कृषक को 25 प्रतिशत, एवं गेंदा पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 40000/- का लघु सीमान्त कृषकों को 40 प्रतिशत व समान्य कृषक को 25 प्रतिशत, का अनुदान अनुमन्य है।

(V) परियोजना आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत- फसल कटाई उपरान्त प्रबन्धन के अन्तर्गत प्याज भण्डार गृह इकाई लागत रू0 1.75 लाख का 50 प्रतिशत रू0 0.875 लाख एवं फल/शाकभाजी/पुष्प फसलों हेतु फंक्शनल पैक हाउस के निर्माण पर इकाई लागत 4.0 लाख का 50 प्रतिशत रू0 2.0 लाख का अनुदान अनुमन्य है।

(VI) मौनपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत- मौनपालन इटेलियन बी (ऐपीस मैलीफेरा) व्यवस्था प्रारम्भ हेतु प्रति इकाई (50 मौनवंश/मौनगृह) मय मौन उपकरण सहित लागत रू0 2.20 लाख का 40 प्रतिशत रू0 88000/- अनुदान अनुमन्य है।

(VII) मशरूम यूनिट के अन्तर्गत- मशरूम उत्पादन, कम्पोस्ट एवं स्पान मेकिंग यूनिट की स्थापना करायी जाती है। मशरूम कम्पोस्ट यूनिट की लागत रू0 20.0 लाख प्रति इकाई तथा स्पान यूनिट की इकाई लागत रू0 15.0 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत क्रमशः रू0 8.0 लाख एवं 6.0 लाख अनुदान प्रति इकाई अनुमन्य है।

योजनान्तर्गत जनपद के कृषकों के प्रक्षेत्रों पर वर्ष 2022-23 में कराये गये कार्यक्रमवार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	जनपद का नाम	फल, पुष्प, शाकभाजी, मसाला क्षेत्र विस्तार (हे0)		मधुमक्खी पालन (सं0)		बागवानी में मशीनीकरण (सं0)		पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट (सं0)		कृषक प्रशिक्षण (सं0)		सेमिनार/गोष्ठी (सं0)		कुल वित्तीय (लाख रु. में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	बलरामपुर	1039	1039	30	30	-	-	17	17	300	300	-	-	54.29	54.29
2	बहराइच	1590	1590	28	28	-	-	20	20	300	300	-	-	67.86	67.86
3	श्रावस्ती	797	750	20	20	-	-	29	28	425	425	-	-	42.29	42.29
4	चन्दौली	264	263	5	5	-	-	-	-	300	300	-	-	13.2	13.2
5	फतेहपुर	714	695	10	10	-	-	1	1	400	400	-	-	24.6	24.6
	योग	4404	4337	93	93	0	0	67	66	1725	1725	0	0	202.24	202.24

3. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन)-** योजनान्तर्गत प्रदेश में बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसलों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के अंगीकरण के प्रोत्साहन हेतु पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन) योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। योजनान्तर्गत

प्रदेश सरकार द्वारा ड्रिप, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई की अधिक ग्राह्यता हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान तथा कम लागत जन्य पोर्टेबल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के त्वरित अंगीकरण हेतु देश की निर्माता फर्में पंजीकृत हैं और निर्माता फर्में अपने अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य कर रही हैं। योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुदान की धनराशि लाभार्थी कृषकों को डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी कृषक के बैंक खाते में अन्तरित की जाती है। योजनान्तर्गत आलोच्य वर्ष 2022-23 में ड्रिप/स्प्रिंकलर ,सिचाई कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय प्रगति-

क्र. सं.	जनपद का नाम	वार्षिक भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (2022-23)					भौतिक एवं वित्तीय प्रगति				
		ड्रिप (हे0)	स्प्रिंकलर (हे0)	योग	एक दिवसीय प्रशिक्षण (सं0)	वित्तीय (लाख में)	ड्रिप (हे0)	स्प्रिंकलर (हे0)	योग	एक दिवसीय प्रशिक्षण (सं0)	वित्तीय (लाख में)
1	फतेहपुर	380	670	1050	100	506.86	202	147	202	100	245.28
2	चन्दौली	519	720	1239	100	578.25	412	183	412	100	455.23
3	सोनभद्र	930	1869	2799	100	1508.60	1155	847	1155	100	1404.34
4	सिद्धार्थ नगर	747	1295	2042	100	1107.90	844	303	844	100	1006.02
5	बलरामपुर	756	810	1566	100	924.64	534	234	534	100	792.32
6	श्रावस्ती	305	710	1015	100	452.12	386	199	386	100	452.12
7	बहराइच	786	875	1661	100	940.86	533	665	533	100	679.82
8	चित्रकूट	780	1830	2610	100	1130.50	523	1467	523	100	823.13
	योग	5203	8779	13982	800	7149.73	4589	5203	4589	800	5858.26

4. अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास योजना- यह योजना जनपद के अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों के प्रक्षेत्रों पर कद्दूवर्गीय सब्जियों की खेती, टमाटर की खेती, मिर्च एवं शिमला मिर्च की खेती, आई0पी0एम0 कार्यक्रम व पुष्प क्षेत्र विस्तार में गेंदा की खेती कराकर उनकी आय में वृद्धि की जाती है। योजनान्तर्गत उपरोक्त कार्यक्रमों में 75 से 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2022-23 में कराये गये कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय प्रगति का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक क्षेत्र विस्तार		आई0पी0एम0		मौनपालन		वित्तीय	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	फतेहपुर	32	32	3	3	-	-	11.91	7.77
2	चन्दौली	21	21	6	6	-	-	7.49	7.45
3	सोनभद्र	45	45	14	14	25	25	17.32	17.32
4	सिद्धार्थ नगर	29	29	10	10	-	-	12.38	12.63
5	बलरामपुर	31	31	5	5	-	-	12.75	12.74
6	श्रावस्ती	29	29	5	5	-	-	11.67	11.34
7	बहराइच	32	32	5	5	-	-	13.44	13.43
8	चित्रकूट	43	43	2	2	-	-	15.46	15.45
	योग	262	357	50	50	25	25	102.42	98.13

5. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना- इस योजना अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित उद्यम जैसे फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, अनाज प्रसंस्करण, कुकरी/बेकरी प्रसस्करण, मशरूम उत्पादन, मटन/पोल्ट्री उत्पादन एवं प्रसंस्करण, ओ0डी0ओ0पी0 इकाई की स्थापना आदि नये उद्यम लगाने एवं इन इकाईयों के उच्चीकरण के लिए विभाग द्वारा 35 प्रतिशत अनुदान बैंक लिंक सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजनान्तर्गत अधिकतम 10.0 लाख तक अनुदान अनुमन्य है। योजना का लाभ एफ0पी0ओ0, एस0एच0जी0 अथवा व्यक्तिगत उद्यमी विभाग के आनलाइन पोर्टल पी0एम0एफ0एम0ई0 पर प्राप्त कर सकते है। भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक		लाभार्थी
		लक्ष्य	पूर्ति	
1	फतेहपुर	123	68	68
2	चन्दौली	123	82	82
3	सोनभद्र	155	63	63
4	सिद्धार्थ नगर	158	57	57
5	बलरामपुर	155	32	32
6	श्रावस्ती	155	7	7
7	बहराइच	155	28	28
8	चित्रकूट	155	20	20
	योग	1179	357	13982

6. हर्बल गार्डन योजनान्तर्गत सोनभद्र, सिद्धर्थनगर, बलरामपुर एवं बहराइच जनपद आच्छादित है। योजनान्तर्गत सर्पगंधा एवं सतावर की खेती कराकर औषधीय क्षेत्र में बढ़ावा देते हुये उनकी आय में वृद्धि की जाती है। योजनान्तर्गत सर्पगंधा में 50 प्रतिशत एवं सतावर में 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2022-23 में कराये गये कार्यक्रमों मे भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय पूर्ति का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक		वित्तीय	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	फतेहपुर	-	-	-	-
2	चन्दौली	-	-	-	-
3	सोनभद्र	3.42	3.42	0.57	0.57
4	सिद्धार्थ नगर	3.60	3.60	0.60	0.60
5	बलरामपुर	3.40	3.40	0.57	0.57
6	श्रावस्ती	-	-	-	-
7	बहराइच	3.40	3.40	0.57	0.57
8	चित्रकूट	-	-	-	-
	योग	13.82	13.82	2.31	2.31

7. राज्य आयुष मिशन योजनान्तर्गत चन्दौली, सोनभद्र एवं बहराइच जनपद आच्छादित है। योजनान्तर्गत सर्पगंधा, अश्वगंधा, सतावरी, तुलसी, एलोवेरा की खेती कराकर औषधीय क्षेत्र में बढ़ावा देते हुये उनकी आय में वृद्धि की जाती है। योजनान्तर्गत सर्पगंधा में 50 प्रतिशत एवं अन्य

औषधीय फसलों में 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2022-23 में कराये गये कार्यक्रमों मे भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय पूर्ति का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक		वित्तीय	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	फतेहपुर	0	0	0	0
2	चन्दौली	14	14	2.68	2.64
3	सोनभद्र	30	30	4.73	4.72
4	सिद्धार्थ नगर	0	0	0. 00	0. 00
5	बलरामपुर	0	0	0. 00	0. 00
6	श्रावस्ती	0	0	0. 00	0. 00
7	बहराइच	45	45	9.65	9.59
8	चित्रकूट	0	0	0. 00	0. 00
	योग	89.00	89.00	17.06	16.95